पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पूर्व ही सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा वांछित अनुतोष चाहा गया।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया किया कि वादगत भूमि माल ग्राम अतरालिया तह0 रामगंजमण्डी के खाता संख्या 40 में स्थित ख.न. 119 रकबा 0.10 है0, ख.न. 128 रकबा 0.15 है0, ख.न. 129 रकबा 0.04 है0, ख.न. 130 रकबा 0.54 है0, ख.न. 131 रकबा 0.39 है0 ख.न. 132 रकबा 0.33 है0, ख.न. 133 रकबा 0.13 है0 ख.न. 136 रकबा 0.06 है0, ख.न. 137 रकबा 0.04 है0, ख.न. 138 रकबा 0.04 है0, ख.न. 139 रकबा 0.06 है0, ख.न. 201 रकबा 0.09 है0, ख.न. 227 रकबा 1.08 है0, ख.न. 242 रकबा 0.80 है0, ख.न. 243 रकबा 0.11 है0, ख.न. 244 रकबा 0.08 है0, ख.न.259 रकबा 0.15 है0, ख.न. 273 रकबा 0.35 है0, ख.न. 476 रकबा 0.86 है0, ख.न. 477 रकबा 1.00 है0, ख.न. 521 रकबा 2.28 है0 कुल किता 21 की कुल रकबा 8.68 है0 स्थित है। जिसमें प्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/4 दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार अप्रार्थी कम 2 व 3 का प्रत्येक का हिस्सा 1/4 दर्ज रेकार्ड है जो कि पहले प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि रही है। उक्त भूमि प्रार्थी कम 1 व अप्रार्थी कम 1 के दादा व प्रार्थी कम 2 व 3 के परदादा भंवरलाल जी के खाते दर्ज रही है। जिनकी मत्यु के उपरान्त उनके 2 पुत्रों आनन्दीलाल तथा प्रार्थी कम 1 व अप्रार्थीम 1 के पिता गिरधारीलाल को हिस्सा बराबर में विरासत में मिली थी। स्व. आनन्दीलाल जी जो प्रार्थी कम 1 के ताउजी थे उनके एक पुत्र सत्यनाराण था तथा उनके कोई संतान नहीं थी। सत्यनाराण जी फौत हो चुके हैं तथा उनकी पत्नि धीसीबाई वर्तमान में मौजुद हैं। धीसीबाई के हिस्से की 1/2 भाग की भूमि को अप्रार्थी कम 2 व 3 द्वारा कय किया गया है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में वर्णित भूमि में से ख.न. 476 रकबा 0.86 है0 तथा ख.न. 477 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 की रकबा 1.86 हे0 भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण ही संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी कम 1 लाचार होने से वाद पत्र के मद नं. 2 में वर्णित भूमि ख.न. 476 रकबा 0.86 है0, ख.न. 477 रकबा 1.00 कुल किता 2 रकबा 1.86 है0 भूमि को प्रार्थी कम 2 व 3 ही काश्त कर रहे हैं।

अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी कम 2 व 3 की गैर मौजुदगी में प्रार्थी कम 1 के अत्यधिक उम्र व लाचारी का फायदा उठाकर उससे विभाजन पत्र आलेखित करवाकर ख.न. 476 रकबा 0.86 है0 सम्पूर्ण भूमि का रकबा एवं ख.न. 477 रकबा 1.00 है में से 0.44 है0 भूमि बरतफ दक्षिण को अप्रार्थी कम 1 द्वारा स्वयं के खाते दर्ज करवाने के लिय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में विभाजन व घोषणा का दावा 1156/2014 प्रसतुत कर डिक्री करवा लिया तथा अब उस भूमि को विकय करने पर आमदा है। ख.न. 476 व 477 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति रही है। जिसको हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान के मुताबिक अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को कय नहीं किया जा सकता । पैतृक संपत्ति होने से उसको कय करने का सर्वप्रथम अधिकार हमें प्राप्त हें वह उसको अन्य किसी दिगर व्यक्ति को विकय नहीं कर सकता है। वादगत भूमि ख.न. 476 व 477 राजस्व अभिलेख में दर्ज अप्रार्थी कम 1 के हिस्सा 1/4 भाग को कयाधिकार के रूप में एवं धारा 22 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप अप्रार्थी कम 1 से कय करना चाहते हैं। क्योंकी उक्त भूमि को कय करने का कानूनी रूप से प्रथम अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है। अन्त में पुनः निवेदन किया कि अप्रार्थी कम 1 के विरूध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह ख.न. 476 रकबा 0.86 है0 ख.न. 477 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 की रकबा 1.86 है0 भूमि के किसी भी भू भाग को प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी दिगर व्यक्ति को विकय या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित अथवा खुर्दबुर्द नहीं करें । उक्त कार्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

इसके विपरित वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वादगत भूमि से संबंधित 2 प्रकरण इस न्यायालय में जैरकार थे। पूर्व में वाद मि.न. 10/15 हरिशंकर बनाम रतनलाल तथा तथा मु.न. 6/19 सत्यनाराण बनाम शंकरलाल, दोनों ही प्रकरण एक दूसरे से संबंधित थे। जिनमें दिनांक 03.3.2020 को लिखित राजीनामें के आधार पर निर्णय पारित किया जाकर डिक्री जारी की गई थी।

प्रार्थीगण द्वारा पुनः उन्हीं पक्षकारान तथा खसरा नम्बरान का का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है जो चलने योग्य नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात–जवाब आदि को देखा जाकर सम्यक विचार किया गया एवं वकील उभपक्षकारान द्वारा अपनी बहस में किये गये कथनों का विवेचन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में अनुतोष प्राप्त करने हेतु मुख्यतः 3 बिन्दु विचारनीय हैं :–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–

वादगत भूमि माल ग्राम अतरालिया तह0 रामगंजमण्डी के खाता संख्या 40 में स्थित ख.न. 119 रकबा 0.10 है0,ख.न. 128 रकबा 0.15 है0, ख.न. 129 रकबा 0.04 है0, ख.न. 130 रकबा

131 रकबा 0.39 है0 ख.न. 132 रकबा 0.33 है0,ख.न. 133
0.54 है0, ख.न. 136 रकबा 0.06 है0,ख.न. 137 रकबा 0.04 है0, ख.न. 138 रकबा 0.04 है0, ख.न. 201 रकबा 0.09 है0, ख.न. 227 रकबा 1.08 है0, ख.न. 242 रकबा 0.15 है0, ख.न. 243 रकबा 0.11 है0, ख.न. 244 रकबा 0.08 है0, ख.न. 259 रकबा 0.35 है0, ख.न. 476 रकबा 0.86 है0, ख.न. 477 रकबा 1.00 है0, कुल किता 21 की कुल रकबा 8.68 है0 स्थित है। जिसमें प्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/4 दर्ज रेकार्ड है व इसी प्रकार अप्रार्थी कम 1 का ... कम 2 व 3 का 1/4 दर्ज रेकार्ड है। उक्त वादगत भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के नाम ... हैं। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण दोनों ही पक्षकारों के पक्ष में पाया जाता है।

2. सुविधाओं का संतुलन :–

प्रकरण में प्रार्थी कम 1 के द्वारा विभाजन पत्र आलेखित कर ख.न. ... सम्पूर्ण भूमि का रकबा एवं ख.न. 477 रकबा 1.00 है में से 0.44 है0 भूमि बरतफ ... कम 1 के खाते दर्ज करवाने के लिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी ... घोषणा का दावा 1156/2014 प्रस्तुत कर डिकी करवा लिया जा चुका है। तथा वह उस पर कब्जा काश्त कर रहा है।

प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे कि उक्त वादगत भूमि उनके ... जा रही है। उक्त कम में उनके द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जो यह प्रमाणित ... वे वर्तमान में उक्त वादगत भूमि पर काश्त कर रहे हैं। अतः वादगत भूमि पर प्रा... कब्जा काश्त किये जाने की दशा में सुविधाओं का संतुलन अप्रार्थीण के हक में पाया ...

3. अपूर्णीय क्षति :–

वादगत भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हैं प्रार्थीगण तथा अ... ही आपस में सहखातेदार है। अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी कम 1 विभाजन पत्र आलेखित ... ही ख.न. 476 रकबा 0.86 है0 सम्पूर्ण भूमि का रकबा एवं ख.न. 477 रकबा 1.00 है0 ... भूमि बरतफ दक्षिण को अप्रार्थी कम 1 द्वारा स्वयं के खाते दर्ज करवाने के लिये न्याया... अधिकारी रामगंजमण्डी में विभाजन व घोषणा का दावा 1156/2014 प्रस्तुत कर डिकी ... तथा वह उस पर ही कब्जा काश्त कर रहा है। वर्तमान में वह भूमि उसकी ही है ... उक्त भूमि का बेचान करता है है तो ऐसी दशा में अन्य किसी सहखातेदार अथवा ... किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है।

अत सुविधाओं का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में होने तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय ... होने के कारण प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.06.2020 को अपास्त किया जाकर ... खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम कर बाद ता... दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को 12.2.24 .... लिखवाया जाकर सरे इजलास सु...

अनिल कुमार सिंघल (आर...)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा ...

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज)